

शैक्षणिक अंकों की गणना :-

6- (क) स्नातक कक्षाएँ:

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेंगे।
2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली हो।
(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वाङ्क परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।
(ग) एम0कॉम पूर्वाङ्क परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी0कॉम0 त्रिवर्षीय परीक्षा है।
(घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्ही विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हों।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

weightage Marks

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमत्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षाएँ:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगितामें भाग लेने के लिए:
(क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

2. एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक
अथवा
एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक
अथवा
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक
5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने:-
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 8 अंक।
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 7 अंक।
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 6 अंक।
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 3 अंक।
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने:-
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।
3. एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को - 8 अंक
अथवा
एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को - 6 अंक

अथवा



- एन0सी0सी0 क्रेडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 - 3 अंक
कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथाकम से कम एक कैम्प - 5 अंक
पूरा करने के लिए।
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली - 3 अंक
में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया है।

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया
है।

- | | | |
|---------------------------------|---|--------|
| (क) प्रथम विजेता होने के लिये | - | 5 अंक। |
| (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये | - | 4 अंक। |
| (ग) तृतीय विजेता होने के लिये | - | 3 अंक। |
| (घ) प्रतिभाग करने के लिये | - | 2 अंक। |

नोट:-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ
प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष
द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत
किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत
प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षाएँ:

1. डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त
पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल
स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी
परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी,
पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

101

.....

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:-

किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु -

(क) प्रथम विजेता होने के लिये	-	5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये	-	4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये	-	3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये	-	2 अंक।
2. एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण 8 अंक
 अथवा
 एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण 6 अंक
 अथवा
 एन0सी0सी0 क्रेडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 3 अंक
 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
3. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथाकम से कम एक 5 अंक
 कैम्प पूरा करने के लिए।
4. डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयं जो उन पर अश्रित हो। 17 अंक



5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री(अविवाहित)। 10 अंक

नोट:-

1. किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।
 2. उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स कौन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
6. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

- | | | |
|---------------------------------|---|--------|
| (क) प्रथम विजेता होने के लिये | - | 5 अंक। |
| (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये | - | 4 अंक। |
| (ग) तृतीय विजेता होने के लिये | - | 3 अंक। |
| (घ) प्रतिभाग करने के लिये | - | 2 अंक। |

नोट:-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

- 7- (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर स्नातकोत्तर नियमित स्नातक अन्तिम वर्ष के किसी विषय में प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(Handwritten Signature)